



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228518
CG-DL-E-28072021-228518

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2746]
No. 2746]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2952(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट डीसी ऑफिस डोडा (No Yet to be Assigned) के कि.मी 7.4 से 53.2 जम्मू और कश्मीर राज्य के तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-No Yet to be Assigned तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	उपायुक्त जिला कलेक्टर,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	जम्मू और कश्मीर	डोडा	गंदोह	1	त्रिथलू
						2	द्विवडी

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Doda/DPR/TKKC/2020-21]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

S.O. 2952(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from 7.4 to 53.2 of D. C office Doda (No Yet to be Assigned) in the State of JAMMU & KASHMIR for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of JAMMU & KASHMIR

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. No Yet to be Assigned in the State of JAMMU & KASHMIR.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Deputy Commissioner (District Collector), Doda	7.4KM To 53.2KM	JAMMU & KASHMIR	DODA	Gandoh	1	Trithloo
						2	Dhrewari
						3	Gandoh
						4	Batara
						5	Halore
						6	Gowari
						7	Dudwar
						8	Ghanshana
						9	Kahal Jugasar
						10	Alni Gangota
					Kahara	1	Kuthyara
						2	Piyakul
						3	Batholi
						4	Dharyouth
						5	Indlu
						6	Bathri
					Chilly Pingal	1	Bhatyas
						2	Jakyas
						3	Tilogra

[F. No. NHIDCL/PMU-Doda/DPR/TKKC/2020-21]

RAJESH GUPTA, Director